

रिज़र्व बैंक ने प्रतिभागिता को बढ़ाकर, बाज़ार तक पहुंच तथा लेनदेन संबंधी मानदंडों को सुगम बनाकर, वित्तीय बाज़ार के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर के तथा बाज़ार की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए कड़ा निगरानी-तंत्र अपना कर वित्तीय बाज़ारों के विभिन्न खंडों को विकसित तथा मजबूत किया। चलनिधि की स्थिति का तदनुसार प्रबंधन करना वर्ष के दौरान एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। रिज़र्व बैंक ने फॉरेक्स स्वैप्स, दीर्घावधि रिपो, लक्षित दीर्घावधि रिपो, अल्पावधि फॉरेक्स स्वैप्स तथा परिवर्ती दर रिवर्स रिपो जैसे विविध गैर पारंपरिक लिखतों का उपयोग किया। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा बाज़ारों से संबंधित विनियमों को सरल बनाने हेतु विविध उपाय किए गए ताकि वे वर्तमान कारोबारी तथा आर्थिक परिवेश के अनुरूप हों।

V.1 वर्ष 2019-20 के दौरान वित्तीय बाज़ार को और भी विकसित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने बाज़ार की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने हेतु कड़ी निगरानी बनाए रखते हुए कई उपाय शुरू किए, जैसे: बाज़ारों के विविध खंडों में प्रतिभागिता आधार को बढ़ाना, प्रतिभागियों की पहुंच आसान बनाना तथा लेनदेन संबंधी मानदंडों को सुकर बनाना; वित्तीय उत्पादों के प्रकारों को बढ़ाना, कार्यविधियों को सरल बनाना तथा वित्तीय बाज़ार के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना। कोविड-19 के कारण हुए विस्थापन के मद्देनजर पर्याप्त चलनिधि, बाज़ारों का सामान्य कार्य तथा वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए रुपये तथा फॉरेक्स में रिज़र्व बैंक के चलनिधि परिचालनों को बढ़ाया गया तथा गैर पारंपरिक लिखतों को भी उपयोग में लाया गया।

V.2 इस पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में खंड 2 में वित्तीय बाज़ारों को विकसित करने हेतु किए गए उपायों को शामिल किया गया है। खंड 3 में चलनिधि प्रबंधन तथा विदेशी मुद्रा परिचालनों को प्रस्तुत किया गया है। खंड 4 में विदेशी मुद्रा बाज़ार के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देते हुए व्यापार तथा भुगतानों की सुविधा हेतु शुरू की गई विभिन्न पहलों को शामिल किया गया है। प्रत्येक खंड में वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना को भी शामिल किया गया है। यह अध्याय निष्कर्ष के साथ समाप्त होता है।

### 2. वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग (एफ़एमआरडी)

V.3 वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग को मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक), विदेशी मुद्रा तथा संबंधित डेरिवेटिव बाज़ार के विकास, विनियमन तथा निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित किए गए उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए इस दायित्व के अनुसार कई उपाय शुरू किए।

#### वर्ष 2019-20 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

#### वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

V.4 विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- अपनी निगरानी क्षमताओं के परिवर्धन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित समन्वित बाज़ार निगरानी प्रणाली (आईएमएसएस) विकसित करना (उत्कर्ष) [पैरा V.5];
- अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (आईसीएसडी) के माध्यम से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निपटान (सेटलमेंट) को कार्यान्वित करना, ताकि आईसीएसडी के अनिवासी ग्राहकों को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का ऑफशोर लेनदेन करने की अनुमति दी जा सके (पैरा V.6); तथा

- अगस्त 2018 में गठित आंतरिक समूह द्वारा की गई सिफ़ारिश के अनुसार वित्तीय बाज़ार के विभिन्न प्रचालन समयों की समीक्षा तथा कार्यान्वयन (पैरा V.7)।

### लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

V.5 विभाग ने समन्वित बाज़ार निगरानी प्रणाली (आईएमएसएस) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक विक्रेताओं से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्राप्त की गई है। ईओआई के मूल्यांकन के आधार पर विभाग अगस्त 2020 के अंत तक प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी करेगा।

V.6 आईसीएसडी के माध्यम से भारत सरकार की प्रतिभूतियों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निपटान को कार्यान्वित करने के संबंध में प्रारूप योजना को सरकार के साथ परामर्श कर अंतिम रूप दिया गया है। तथापि उसमें कुछ करों संबंधी मामले हैं, जिन्हें सरकार को संदर्भित किया गया है। इस बीच आईसीएसडी योजना

के परिचालनगत ब्यौरों को तैयार किया जा रहा है और उन्हें शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

V.7 बाज़ार के प्रचालन समय पर आंतरिक समूह द्वारा की गई सिफ़ारिश तथा बाज़ार के प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिसूचना के अनुसार विभिन्न उत्पादों के लिए संशोधित बाज़ार समयों को अंतिम रूप दिया गया है तथा उन्हें कोविड-19 से संबंधित अव्यवस्था के स्थिर होते ही कार्यान्वित किया जाएगा।

*विदेशी मुद्रा बाज़ार तक पहुंच को आसान बनाना तथा प्रतिभागिता को बढ़ाना*

V.8 घरेलू विदेशी मुद्रा बाज़ार के लिए वर्ष के दौरान की गई पहल का मुख्य केंद्र बिन्दु था कम परिष्कृत प्रतिभागियों के हितों को सुरक्षित रखते हुए पहुंच को प्रोत्साहित करना, ऑनशोर तथा ऑफशोर व्यापार गतिविधियों के बीच के विभाजन को जोड़ना तथा विदेशी मुद्रा जोखिमों को हेज करने की प्रक्रिया को सरल बनाना। (बॉक्स V.1)

### बॉक्स V.1

#### विदेशी मुद्रा बाज़ार: पहुंच, पारदर्शिता तथा कीमत-निर्धारण में सुधार लाना

वर्ष 2019-20 के दौरान विदेशी मुद्रा बाज़ार में विशेष रूप से खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच तथा कीमत निर्धारण आउटकम को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई।

#### सरलीकृत विनियमक फ्रेमवर्क

विदेशी मुद्रा बाज़ार को शासित करने वाले विनियम<sup>1</sup> तथा निर्देश<sup>2</sup> को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। संशोधित निर्देश में निवासी तथा अनिवासी दोनों के लिए विदेशी मुद्रा बाज़ार तक पहुंचने के लिए नियमों का एकीकृत फ्रेमवर्क शामिल किया गया है। नियमों को सरल तथा सिद्धान्त आधारित बनाया गया है।

#### पहुंचने में आसानी

सरलीकृत विनियामक फ्रेमवर्क अन्य बातों के साथ साथ उपयोगकर्ताओं को अंडरलाइंग एक्सपोजर को स्थापित करने की आवश्यकता के बिना, काउंटर पर (ओटीसी) तथा एक्सचेंज-ट्रेडेड बाज़ार में क्रमशः 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य राशि का प्रदेय, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव कांट्रैक्ट करने की अनुमति देता है। इसके अलावा प्राधिकृत

व्यापारी (एडी) बैंकों को हर समय तथा सामान्य बाज़ार समय (पूर्वाह्न 9.00—शाम 5.00 बजे) के पश्चात अपने निवासी तथा अनिवासी ग्राहकों को क्वोट प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई है।

#### कास्गर हेजिंग

नए फ्रेमवर्क में प्रत्याशित एक्सपोजरों को बुक करने की सुविधा दी गई है तथा उसके अंतर्गत प्रतिभागी मुक्त रूप से लेनदेन को रद्द तथा पुनः बुक कर सकते हैं। प्रत्याशित लेनदेन के हेजिंग पर यदि कोई लाभ होता है, तो वह लाभ केवल नकदी प्रवाह नजर आने पर ग्राहकों को दिया जाएगा।

#### ऑनशोर तथा ऑफशोर के बीच के विभाजन को हटाना

ऑनशोर तथा ऑफशोर बाज़ारों के बीच के विभाजन को हटाने के लिए तथा वास्तविक कीमत-निर्धारण प्रक्रिया की कास्गरता को सुधारने के लिए भारत में स्थित बैंक, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग यूनिट्स (बीयू) का परिचालन करते हैं, को भारत में निवास नहीं करने वाले व्यक्तियों को रुपया अथवा अन्यथा अप्रदेय (नॉन-डेलीवरेबल) डेरिवेटिव कांट्रैक्ट (एनडीडीसी) प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। (जारी ...)

<sup>1</sup> समय समय पर संशोधित किए गए अनुसार विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा) विनियमावली, 2000

<sup>2</sup> समय समय पर संशोधित किए गए अनुसार मास्टर निदेश –जोखिम प्रबंध तथा अंतर-बैंक लेनदेन

### व्यापार संबंधी जानकारी में पारदर्शिता

लेनदेन संबंधी सूचना के प्रभावी प्रसार के साथ उसकी पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से यह निदेश दिया गया कि 1 जून 2020 से भारत में स्थित बैंकों द्वारा किए गए सभी विदेशी मुद्रा एनडीडीसी (जिसमें रुपया शामिल है अथवा अन्यथा) को सीसीआईएल के रिपोर्टिंग प्लैटफॉर्म पर रिपोर्ट किया जाए। इसी प्रकार आईबीयू को यह निदेश दिया गया कि वे उनके द्वारा किए गए सभी ओटीसी विदेशी मुद्रा, ब्याज दर तथा क्रेडिट डेरिवेटिव लेनदेन-अंतर-बैंक तथा ग्राहक लेनदेन, दोनों - को 1 जून 2020 से सीसीआईएल के रिपोर्टिंग प्लैटफॉर्म पर रिपोर्ट करें।

### उपभोक्ता सुरक्षा

एक नया उपयोगकर्ता वर्गीकरण फ्रेमवर्क बनाया गया जिसके अंतर्गत उपयोगकर्ताओं को या तो खुदरा अथवा गैर-खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जहां एडी बैंकों को गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं को (जिनमें अन्य के साथ-साथ विनियमित वित्तीय संस्थाएं, ₹ 500 करोड़ तथा उससे अधिक के टर्नओवर वाले कॉर्पोरेट्स तथा व्यक्तियों को छोड़कर अनिवासी शामिल हैं) कोई भी प्लेन वैनिला अथवा स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव उत्पाद प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई है, वहीं उन्हें खुदरा उपयोगकर्ताओं को केवल वायदा, यूरोपियन कॉल तथा पुट ऑप्शन्स की खरीद, कॉल तथा पुट स्प्रेड तथा स्वेप्स की खरीद के प्रस्ताव देने की अनुमति दी गई है। इस उपाय का उद्देश्य है-कम परिष्कृत उपयोगकर्ता के हितों की रक्षा करना तथा उसी समय बड़े बाजार प्रतिभागियों / अधिक परिष्कृत संस्थाओं के लिए नवोन्मेशी उत्पादों को प्रवर्तित करना।

### पारदर्शी तथा उचित कीमत निर्धारण

खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए उचित कीमत निर्धारण तथा वास्तविक कीमत निर्धारण में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए संशोधित निदेशों में यह कहा

गया है कि एडी बैंकों द्वारा खुदरा उपयोगकर्ताओं के साथ किए जाने वाले सभी लेनदेन वर्तमान अंतर-बैंक/ बाजार दरों पर निष्पादित किए जाएंगे। उपयोगकर्ता को निष्पादन के समय की भी जानकारी दी जाएगी। संविदा से संबंधित यथा लागू शुल्क/ कमीशन/ सेवा प्रभार अलग से प्रभारित किए/ दर्शाए जाएंगे और कीमत का हिस्सा नहीं होंगे।

### इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म

रिजर्व बैंक के अनुरोध पर सीसीआईएल ने खुदरा खंड के लिए एफएक्स-रीटेल नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म विकसित किया है। प्लैटफॉर्म ने 5 अगस्त 2019 को साक्षात (लाइव) परिचालन प्रारंभ किए। रजिस्टर करने तथा अपने संबंधित एडी से सीमाएं प्राप्त करने के बाद, ग्राहक इंटरनेट के माध्यम से एफएक्स-रीटेल तक पहुंच सकते हैं तथा अपने ऑर्डर दे सकते हैं। उनके ऑर्डर को कीमत-समय प्राथमिकता के आधार पर अन्य ग्राहकों अथवा एडी के ऑर्डर के साथ अज्ञात रूप से मिलाया जाएगा। यह प्लैटफॉर्म रजिस्टर करने, बाजार तक पहुंचने, बाजार की गहनता का आकलन करने, ऑर्डर देने, सौदे से संबंधित जानकारी प्राप्त करने तथा रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आसान तथा नम्य शर्तें प्रदान करता है। एडी द्वारा लगाए गए प्रभारों को पोर्टल पर पारदर्शी रूप से दर्शाया गया है। इस प्लैटफॉर्म की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है संकलन, जिसमें एक बार लंबित मिलाए नहीं गए हुए ऑर्डर अंतर-बैंक खंड के लॉट के आकार के हो जाने पर उन्हें एफएक्स-विलयर प्लैटफॉर्म जो कि सीसीआईएल का अंतर-बैंक प्लैटफॉर्म है, में अंतरित किया जाता है जिससे पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित हो जाती है। एफएक्स-रीटेल अमेरिकी डॉलर/ भारतीय रुपये के पेअर में नकद/ टॉम/ स्पॉट लेनदेन प्रदान करता है। वायदा तथा अन्य मुख्य करेंसी पेअर्स को शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। अब तक इस प्लैटफॉर्म पर 1895 ग्राहकों ने रजिस्टर किया है (30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार)।

स्रोत: आरबीआई

### घरेलू ऋण लिखतों में अनिवासी निवेश

V.9 केंद्रीय बजट 2020-21<sup>3</sup> में की गई घोषणा के अनुरूप 30 मार्च 2020 को भारत सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए एक अलग मार्ग अर्थात् पूर्णतया अभिगमयोग्य मार्ग (एफएआर) शुरू किया गया। यह ऋण खंड में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) और स्वैच्छिक प्रतिधारणा मार्ग (वीआरआर) के अतिरिक्त तीसरा मार्ग होगा। एफएआर के अंतर्गत निवेश के लिए पांच विद्यमान प्रतिभूतियों की सूची को पात्र प्रतिभूतियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020-21 से

5-वर्ष, 10-वर्ष तथा 30-वर्ष की परिपक्वता अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों के सभी नए निर्गम एफएआर के अंतर्गत निवेश के लिए पात्र होंगे। जहां 'विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों' के रूप में नामित की जाने वाली नई प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधियों को समय-समय पर बढ़ाया/ संशोधित किया जा सकता है, वहीं जिस किसी प्रतिभूति को एक बार एफएआर के अंतर्गत निवेश के लिए पात्र नामित किया जाता है वह परिपक्वता तक पात्र रहेगी।

V.10 ऋण लिखतों में विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) के निवेशों को और भी उदार / सुविधाजनक बनाने के लिए विविध उपाय किए गए: (ए) कॉर्पोरेट बॉन्ड तथा राजकोषीय बिलों तथा

<sup>3</sup> केंद्रीय बजट 2020-21 में यह घोषणा की गई कि केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों को घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध होने के अलावा बिना किसी प्रतिबंध के अनिवासी निवेशकों के लिए भी पूर्णतः खोल दिया जाएगा।

राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) सहित सरकारी प्रतिभूतियों में अल्पावधि (एक वर्ष तक) निवेश की सीमा को 23 जनवरी 2020 से उस एफ़पीआई द्वारा संबंधित श्रेणी में कुल निवेश के विद्यमान 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक संशोधित किया गया; (बी) आर्स्टि पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा अथवा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के अधीन संस्थाओं द्वारा जारी की गई ऋण लिखत को अल्पावधि निवेश सीमा से छूट दी गई थी; तथा (सी) केंद्रीय बजट 2020-21 में की गई एक घोषणा के अनुरूप 1 अप्रैल 2020 से एफ़पीआई द्वारा कॉर्पोरेट बॉन्डों में किए गए निवेश की सीमा को (9 प्रतिशत से) बकाया स्टॉक के 15 प्रतिशत तक बढ़ाया गया।

V.11 भारतीय ऋण बाज़ारों में दीर्घावधि संविभाग निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए वीआरआर के अंतर्गत निवेश की उच्चतम सीमा में 23 जनवरी 2020 से विद्यमान ₹75,000 करोड़ से ₹1,50,000 करोड़ तक वृद्धि की गई। जिन एफ़पीआई को वीआरआर के अंतर्गत निवेश की सीमाएं आबंटित की गई थी, उन्हें सामान्य निवेश सीमा के अंतर्गत किए गए अपने निवेशों को वीआरआर में अंतरित करने की अनुमति दी गई थी। वीआरआर योजना के अंतर्गत एफ़पीआई को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ़) जो केवल ऋण लिखतों में निवेश करते हैं, में निवेश करने की भी अनुमति दी गई। रिपो बाज़ार में पात्र संपार्श्विक आधार को बढ़ाने तथा चलनिधि को भी सुधारने की दृष्टि से 28 नवंबर 2019 को ऋण ईटीएफ़ की यूनिटों को रिपो लेनदेन के लिए पात्र प्रतिभूतियों के रूप में अनुमति दी गई। कोविड-19 के कारण उत्पन्न व्यवधानों के परिप्रेक्ष्य में जिन एफ़पीआई को 24 जनवरी 2020 (निवेश सीमाओं के आबंटन को पुनः खोलने की तारीख) तथा 30 अप्रैल 2020 के बीच वीआरआर के अंतर्गत सीमाएं आबंटित की गई थी, उन्हें अपने प्रतिबद्ध संविभाग आकार (सीपीएस) के 75 प्रतिशत का निवेश करने के लिए तीन महीने की अतिरिक्त अवधि दी गई है। निवेशों के लिए प्रतिधारण अवधि को तदनुसार पुनर्निर्धारित किया जाएगा।

*वित्तीय बाज़ार इनफ़्रास्ट्रक्चर में सुधार करना*

V.12 वित्तीय बेंचमार्क प्रशासकों के लिए जून 2019 में एक विनियामक फ्रेमवर्क तैयार किया गया ताकि रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाज़ारों में बेंचमार्क निर्धारण प्रक्रिया के शासन में सुधार लाया जा सके। 1 जनवरी 2020 को फ़ाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ़बीआईएल) द्वारा निर्देशित छः बेंचमार्क्स को रिज़र्व बैंक द्वारा 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क्स' के रूप में अधिसूचित किया गया।

V.13 रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2018 में डेरिवेटिव से इतर बाज़ारों में प्रतिभागिता के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) का प्रयोग लागू किया। कोविड-19 के कारण बाज़ार के प्रतिभागियों द्वारा अभिव्यक्त की गई कठिनाइयों के संदर्भ में तथा डेरिवेटिव से इतर बाज़ारों में एलईआई प्रणाली के सुचारु कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से एलईआई के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा को 31 मार्च से 30 सितंबर 2020 तक आगे बढ़ाया गया है।

### वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

V.14 वर्ष 2020-21 के लिए विभाग का निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव है ;

- 6 फरवरी 2020 के 'विकासात्मक एवं विनियामक नीतियों पर रिज़र्व बैंक के वक्तव्य' में घोषित किए गए अनुसार तथा जी-20 की सिफ़ारिशों के अनुरूप नॉन सेंट्रली विलयर्ड डेरिवेटिव संविदाओं के लिए प्रारंभिक तथा भिन्नता मार्जिन के आदान-प्रदान के लिए एक फ्रेमवर्क स्थापित किया जाएगा। मार्जिन के इस प्रकार के आदान-प्रदान को केन्द्रीय बजट 2020-21 में घोषित किए गए अनुसार अर्हक वित्तीय संविदाओं के द्विपक्षीय नेटिंग के विधान को अपनाकर सुविधाजनक बनाया जाना (उत्कर्ष);
- ऋण चूक स्वैप्स (सीडीएस) पर निदेशों की सीडीएस के प्रणेताओं (राइटर) के आधार को बढ़ाने तथा अर्हक

वित्तीय संविदाओं के द्विपक्षीय नेटिंग के लिए प्रस्तावित विधान के परिप्रेक्ष्य में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार को मजबूत बनाने के लिए परिचालनगत दिशा-निर्देशों को सरल बनाने की दृष्टि से समीक्षा की जाएगी (उत्कर्ष); तथा

- पहुंच को आसान बनाने, ऑनशोर तथा ऑफशोर बाज़ारों के बीच के विभाजन को हटाने तथा पारदर्शिता को सुधारने की दृष्टि से ब्याज दर डेरिवेटिव पर निर्देशों की समीक्षा करना।

### 3. वित्तीय बाज़ार परिचालन विभाग (एफ़एमओडी)

V.15 वित्तीय बाज़ार परिचालन विभाग को दो प्राथमिक दायित्व सौंपे गए हैं: पहला मौद्रिक नीति के संचरण हेतु वित्तीय प्रणाली में चलनिधि का उपयुक्त स्तर बनाए रखने के लिए चलनिधि प्रबंधन परिचालन को संचालित करना; तथा दूसरा यह कि स्पॉट, वायदा और फ्यूचर्स क्षेत्र में परिचालनों के जरिए विदेशी मुद्रा बाज़ार में व्यवस्थित स्थिति सुनिश्चित करना।

#### वर्ष 2019-20 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

#### वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

V.16 वर्ष के दौरान विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- उभरती हुई चलनिधि स्थितियों की बारीकी से निगरानी करना और नीतिगत रिपो दर के साथ भारित औसत मांग दर (डबल्यूएसीआर) के संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए अपने परिचालनों को संशोधित करना (पैरा V.17);
- विनिमय दरों में अनुचित अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा परिचालनों को प्रभावी ढंग से संचालित करना (पैरा V.23); तथा
- घरेलू विदेशी मुद्रा बाज़ार में 'एफ़एक्स ग्लोबल कोड' के सिद्धांतों को अपनाने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भारतीय विदेशी मुद्रा समिति के साथ 'पब्लिक रजिस्टर' की शुरुआत करना (उत्कर्ष) [पैरा V.24]।

### लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

#### मुद्रा बाज़ार तथा चलनिधि प्रबंधन

V.17 जैसे ही अप्रैल-मई के दौरान प्रणालीगत चलनिधि की घाटे की स्थिति, जून 2019 में अधिशेष में परिवर्तित हुई, रिजर्व बैंक ने उभरती हुई चलनिधि परिस्थितियों को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़), खुले बाज़ार के परिचालनों (ओएमओ) तथा अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक, दोनों प्रकार की परिपक्वताओं के परिवर्ती दर रिवर्स रिपो परिचालनों के अंतर्गत परिष्करण लिखतों का उपयोग करते हुए सक्रिय रूप से प्रबंध किया।

V.18 6 फरवरी 2020 को घोषित किए गए नए चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क के अंतर्गत रिजर्व बैंक ने भारत की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप बनाए गए तथा अंतरराष्ट्रीय अनुभव से सीख लेते हुए विविध नई लिखतें उपयोग में लाई (बॉक्स V.2)।

V.19 विद्यमान चलनिधि परिस्थितियों के मूल्यांकन के आधार पर पूर्व में प्रत्येक पखवाड़े में संचालित किए जाने वाले दैनंदिन स्थायी दर रिपो तथा 14 दिन के चार परिवर्ती दर रिपो को 14 फरवरी 2020 से बंद कर दिया गया। तथापि इस अवधि के दौरान दैनंदिन एमएसएफ़ तथा स्थायी दर रिवर्स रिपो जारी रखे गए। इसके अतिरिक्त संशोधित चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क के एक भाग के रूप में 14 दिन से अधिक परिपक्वता अवधि वाले दो नए लिखत, दीर्घावधि परिवर्ती दर रिपो (एलटीआर) तथा दीर्घावधि परिवर्ती दर रिवर्स रिपो (एलटीटीआर) की घोषणा की गई।

V.20 घरेलू वित्तीय बाज़ारों में अपवादात्मक उच्च अस्थिरता, जिसके कारण चलनिधि दबाव के दौर का सामना करना पड़ा, जिसके परिप्रेक्ष्य में तथा बैंकिंग प्रणाली को दिलासा प्रदान करने के लिए 27 मार्च 2020 को एमएसएफ़ योजना के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों की उधार सीमा को दूसरे परवर्ती पखवाड़े के अंत में निर्धारित एसएलआर से घटा कर उनकी बकाया निवल मांग तथा मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। 30 जून 2020 तक उपलब्ध इस छूट को 26 जून 2020 को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाया गया।

बॉक्स V.2:

चलनिधि प्रबंधन के गैर पारंपरिक उपाय : आरबीआई का हाल का अनुभव

वैश्विक वित्तीय संकट के दौर के पश्चात की अवधि में विविध केंद्रीय बैंकों ने नए नीतिगत लिखत प्रचलित किए और अपने मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क में परिवर्तन किए। विभिन्न देशों के अनुभव में ज्यादातर “मौद्रिक नीति के गैर पारंपरिक उपाय” (यूएमपीटी) के रूप में संबोधित चार मोटी श्रेणियां दिखाई देती हैं : ऋणात्मक ब्याज दर नीति; विस्तारित उधार परिचालन; आरिस्त खरीद कार्यक्रम; तथा भावी मार्गदर्शन (बीआईएस, 2019)।


गैर पारंपरिक मौद्रिक नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है बैंकों को बड़े पैमाने पर प्रदान किया जाने वाला चलनिधि समर्थन। उदाहरण के लिए अक्टूबर 2008 से ईसीबी, मुख्यतः छः महीने से बारह महीने की परिपक्वताओं के लिए मासिक आधार पर निष्पादित किए जाने वाले दीर्घावधि पुनर्वित्त परिचालनों की ओर अंतरित हुई है (पट्टिपेलोहय एवं अन्य, 2013)।

जिन परिस्थितियों के अंतर्गत केंद्रीय बैंक गैर पारंपरिक मौद्रिक नीति तथा चलनिधि प्रबंधन को अपनाते हैं वे परिस्थितियां महत्वपूर्ण हैं। यह तर्क दिया जाता है कि जब नाममात्र ब्याज दर/ नीतिगत दर (जीरो लोअर बाउंड) को घटाने की बहुत कम अथवा बिलकुल ही गुंजाइश नहीं है तब वित्तीय तथा बैंकिंग प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न अन्य क्षेत्रों को चलनिधि की आपूर्ति जारी रखने के लिए गैर पारंपरिक उपाय करने पड़ते हैं (आईएमएफ, 2013)।



कोविड-19 महामारी द्वारा निर्मित अप्रत्याशित परिस्थिति के होते हुए अर्थव्यवस्था में वित्त का सामान्य प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए तथा मौद्रिक नीति के प्रभावों का बेहतर संवर्ण संभव हो सके, इसलिए भारत में रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2020 में अनेक प्रकार के गैर पारंपरिक चलनिधि प्रबंधन उपाय अपनाए :

- 17 फरवरी 2020 से 18 मार्च 2020 तक रिज़र्व बैंक ने एक वर्ष तथा तीन वर्ष की परिपक्वता वाले दीर्घावधि रिपो परिचालन (एलटीआरओ) संचालित किए और नीतिगत रिपो दर पर ₹1,25,117 करोड़ की कुल राशि आबंटित की।
- रिज़र्व बैंक ने एक अन्य गैर पारंपरिक चलनिधि प्रबंधन उपाय—लक्ष्यित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) का प्रारंभ किया जिसके अंतर्गत बैंकों द्वारा ली गई चलनिधि को 27 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार इन बॉन्डों में उनके निवेशों के बकाया स्तर के अतिरिक्त, निवेश ग्रेड के कॉर्पोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र तथा अपरिवर्तनीय डिबेंचर में विनियोजित किया जाना था। बैंकों द्वारा टीएलटीआरओ के अंतर्गत ₹1,00,050 करोड़ की राशि ली गई।
- 17 अप्रैल 2020 को छोटे तथा मध्यम आकार के कॉर्पोरेट्स, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) को चलनिधि प्रदान करने हेतु तीन वर्ष तक की परिपक्वताओं के लिए नीतिगत रिपो दर पर लक्ष्यित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) 2.0 का प्रारंभ किया। टीएलटीआरओ 2.0 के अंतर्गत बैंकों ने ₹ 12,850 करोड़ की राशि ली।

- म्यूचुअल फंडों पर होने वाले चलनिधि दबावों तथा उससे होने वाले संभाव्य संक्रामक प्रभावों से निपटने के लिए रिज़र्व बैंक ने म्यूचुअल फंडों (एमएफ) की ओर लक्ष्यित स्थायी रिपो दर पर 90 दिन की परिपक्वता वाली ₹ 50,000 करोड़ की एक विशिष्ट चलनिधि सुविधा (एसएलएफ-एमएफ) का प्रारंभ किया। ₹50,000 करोड़ की कुल परिकल्पित राशि में से ₹ 2,430 करोड़ का एसएलएफ-एमएफ के अंतर्गत लाभ उठाया गया।
- पांच नीलामियों के लिए 4.5 के औसत बिड-कवर अनुपात के साथ एलटीआरओ को भारी प्रतिसाद मिला। टीएलटीआरओ के अंतर्गत नीलामियों को भी पहली चार नीलामियों के लिए 3.3 के औसत बिड-कवर अनुपात के साथ बाज़ार प्रतिभागियों से सकारात्मक प्रतिसाद प्राप्त हुआ। तथापि टीएलटीआरओ 2.0 की पहली शृंखला को 23 अप्रैल 2020 को नीलाम की गई ₹ 25,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लगभग 51 प्रतिशत पर अपेक्षा से कम प्रतिसाद मिला (चार्ट 1)। एलटीआरओ, टीएलटीआरओ तथा टीएलटीआरओ 2.0 के माध्यम से मुहैया की गई कुल राशि ₹2,38,017 करोड़ थी।



- सरकारी क्षेत्र के बैंक तथा उनके बाद निजी क्षेत्र के बैंक एलटीआरओ नीलामियों के प्रतिभागियों के मुख्य समूह थे। इन सब का कुल आबंटित राशि का औसतन 89 प्रतिशत हिस्सा रहा। 18 मार्च 2020 की अंतिम नीलामि को छोड़कर विदेशी बैंक तथा सहकारी बैंकों का भी एलटीआरओ (चार्ट 2) की कुल आबंटित राशि में उचित हिस्सा रहा। टीएलटीआरओ के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों का औसत प्रतिशत हिस्सा 99 प्रतिशत के आस-पास रहा, इसमें मुख्य उधारकर्ता समूह (चार्ट 3) सरकारी क्षेत्र के बैंकों का था। अतः रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग तथा वित्तीय प्रणाली में चलनिधि के प्रबंधन के लिए अपरम्परागत उपायों के संसाधनों का उपयोग किया है (जारी ...)



**संदर्भ:**

- बीआईएस (2019), 'अन्कन्वेन्शनल मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स : ए क्रॉस-कंट्री एनालिसिस', सीजीएफएस पेपर्स नं 63, कमिटी ऑन द ग्लोबल फ़ाइनेंशियल सिस्टम, बीआईएस, अक्टूबर 2019।
- इंटरनेशनल मोनेटरी फंड (2013), 'अन्कन्वेन्शनल मॉनिटरी पॉलिसिज़-रिसेंट एक्सपिरियन्सिज़ एंड प्रॉस्पेक्ट्स'। आईएमएफ पॉलिसी पेपर,

वॉशिंगटन डीसी: इंटरनेशनल मोनेटरी फंड।

- पट्टिपेलोहय, क्रिश्चियन, जॉन विललेम वैनडेन एंड, मोस्तफा तब्बए, जॉन फ्रॉस्ट तथा जेकब डीहान (2013), 'अन्कन्वेन्शनल मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द ईसीबी ड्यूरिंग द फ़ाइनेंशियल क्रिसिस : एन असेसमेंट एंड न्यू एविडेन्स', डीएनबीडबल्यूपी नं. 381, डीनिदरलैंडशे बैंक, द निदरलैंड्स।

V.21 टिकाऊ चलनिधि के संबंध में ओएमओ की बारंबारता तथा मात्रा में 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान वृद्धि की गई। पूर्ण वर्ष में रिज़र्व बैंक ने ₹1,45,690 करोड़ तक के खुले बाज़ार परिचालन (एनडीएस-ओएम सहित) खरीद तथा ₹32,121 करोड़ तक की ओएमओ बिक्री (एनडीएस-ओएम सहित) संचालित की, जिसमें से ₹92,385 करोड़ की ओएमओ खरीद तथा ₹32,111 करोड़ की ओएमओ बिक्री केवल दूसरी छमाही में संचालित की गई। इसमें समकालिक पांच ओएमओ के अंतर्गत (23 तथा 30 दिसंबर 2019, 6 तथा 23 जनवरी 2020 तथा 27 अप्रैल 2020) दीर्घावधि सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद तथा अल्पावधि सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री शामिल है। अप्रैल-मई 2020 के दौरान क्रमशः ₹1,30,474 करोड़ तथा ₹10,000 करोड़ तक की ओएमओ खरीद तथा बिक्री (एनडीएस-ओएम सहित) आयोजित की गई। उसके बाद 2 जुलाई 2020 को रिज़र्व बैंक ने ओएमओ के अंतर्गत दीर्घावधि सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद तथा अल्पावधि सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री का एक और समकालिक संचालन किया। इन परिचालनों को प्रतिबिम्बित करते हुए 10 वर्ष की परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूति का जनेरिक प्रतिफल 9 दिसंबर 2019 तथा 31 जनवरी 2020 की अवधि के बीच 15

आधार अंकों (बेसिस पॉइंट्स) से संचयी रूप से कम (सॉफ्टनिंग) हुआ।

V.22 वर्ष 2019-20 में विदेशी मुद्रा बाज़ार में चलनिधि प्रबंध के उपाय के रूप में विदेशी मुद्रा स्वैप नीलामियों का सक्रिय रूप से उपयोग किया गया। 16 मार्च 2020 को छः महीने की अवधि के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली अमेरिकी डॉलर / भारतीय रुपया (यूएसडी/ आईएनआर) खरीद/ बिक्री स्वैप/ नीलामी आयोजित की गई। रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाज़ार में चलनिधि प्रदान करने के लिए 23 मार्च 2020 को भी 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एक और छः महीने की यूएसडी/ आईएनआर खरीद/ बिक्री स्वैप/ नीलामी आयोजित की। इसके साथ ही मई 2020 में रिज़र्व बैंक ने कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में उसकी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिकी डॉलर स्वैप सुविधा का लाभ उठा सके इस उद्देश्य से निर्यात आयात (एक्सिम) बैंक को लाभ उठाने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए तथा एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए विस्तार सहित ₹15,000 करोड़ की ऋण व्यवस्था प्रदान करने का निर्णय लिया।

### विदेशी मुद्रा बाज़ार

V.23 काउंटर पर (ओटीसी) तथा एकस्चेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव (ईटीडीसी) खंडों में परिचालनों के माध्यम से फॉरेक्स बाज़ार में सुव्यवस्थित स्थिति बनाई रखी गई।

V.24 घरेलू फॉरेक्स बाज़ार में 'एफएक्स ग्लोबल कोड' के सिद्धांतों को अपनाने के प्रति रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में विभाग ने [भारतीय विदेशी मुद्रा समिति (आईएफएक्ससी) के साथ समन्वय में] एक "पब्लिक रजिस्टर" शुरू किया, जिसे भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) की साइट पर रखा गया है। उसमें भारतीय फॉरेक्स बाज़ार में परिचालन करने वाले सभी एडी श्रेणी-1 के बैंकों तथा एफएक्स ग्लोबल कोड में निर्धारित की गई श्रेष्ठ प्रथाओं को मान्य करने वाले तथा उन्हें अपनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने वाले कॉर्पोरेट्स का प्रतिबद्धता वक्तव्य दिया गया है। वैश्विक विदेशी मुद्रा समिति (जीएफएक्ससी) द्वारा होस्ट किए गए वैश्विक पब्लिक रजिस्टर के साथ इस रजिस्टर को पहले से ही लिंक किया गया है। यह 'पब्लिक रजिस्टर' सूचना भंडार की तरह कार्य करेगा, जिससे बाज़ार के प्रतिभागियों को अपने 'एफएक्स ग्लोबल कोड' के प्रतिबद्धता वक्तव्यों के प्रकाशन की सुविधा मिलेगी और यह सभी इच्छुक पार्टियों को बाज़ार के प्रतिभागियों की पहचान करने में भी मदद करेगा। रिज़र्व बैंक ने अपना खुद का प्रतिबद्धता वक्तव्य अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्वारा बनाए रखे गए केंद्रीय बैंक पब्लिक रेजिस्ट्री पर होस्ट किया है।

### वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

V.25 वर्ष के दौरान विभाग निम्नलिखित पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा:

- मौद्रिक नीति के रुझान के अनुरूप अतिरिक्त चलनिधि प्रबंधन उपायों का उपयोग करने के साथ-साथ कारगर रूप से चलनिधि प्रबंधन परिचालन करना (उत्कर्ष);
- उभरती हुई चलनिधि स्थितियों की बारीकी से निगरानी करना और नीतिगत रिपो दर के साथ भारित औसत मांग दर (डबल्यूएसीआर) के संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए अपने परिचालनों को संशोधित करना;

- विनियम दरों में अनुचित अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा परिचालनों को प्रभावी ढंग से संचालित करना; तथा
- वित्तीय बाज़ारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान जारी रखना।

### 4. विदेशी मुद्रा विभाग (एफ़ईडी)

V. 26 वर्ष के दौरान विभाग विनियामक फ्रेमवर्क को और अधिक सिद्धान्त-आधारित करने की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से विनियमों को तर्कसंगत बनाने के कार्य को आगे ले जाने में लिप्त रहा। विभाग ने बाह्य व्यापार तथा भुगतनों को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्तमान कारोबारी एवं आर्थिक परिवेश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विनियामक फ्रेमवर्क को तदनुसार संरेखित करने सहित कारोबार करने की सुगमता को बढ़ाने के लिए विविध कदम उठाए।

### वर्ष 2019-20 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

#### वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

V.27 विभाग ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2019-20 के लिए विशिष्ट प्रदेयों को निर्धारित किया था:

- फेमा के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए विस्तृत फ्रेमवर्क तैयार करना (उत्कर्ष) [पैरा V.28];
- अनुमोदन प्रदान करने के लिए आंतरिक फ्रेमवर्क विकसित करना (उत्कर्ष) [पैरा V.29];
- फेमा के छोटे उल्लंघनों के लिए शुल्क संबंधी फ्रेमवर्क बनाना (उत्कर्ष) [पैरा V.30];
- संपूर्ण मुद्रा प्रवर्तक (एफ़एफ़एमसी) के रूप में लाइसेंसीकृत होने के लिए प्रवेश संबंधी मानदंडों की समीक्षा करना एवं उन्हें तर्कसंगत बनाना [पैरा V.31];
- मर्चेंटिंग व्यापार लेनदेन से संबंधित दिशानिर्देशों को तर्कसंगत बनाना [पैरा V.36];
- विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते के दायरे को बढ़ाना (पैरा V.39);

- बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के अंतिम उपयोग में छूट देना (पैरा V.40); तथा
- फेमा के तहत गैर-ऋण नियमों को अधिसूचित करना (पैरा V.42)।

### लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

V.28 विदेशी मुद्रा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ), विनियमों को सरल बनाने का प्रयास करने के साथ-साथ विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए विभिन्न सम्मेलन, संगोष्ठियां, प्रदर्शन तथा वित्तीय साक्षारता कार्यक्रमों का आयोजन कर के सूचना का प्रसार करने में भी सक्रिय रहें हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा के वास्तविक उपयोगकर्ताओं अर्थात्, प्राधिकृत व्यक्ति (एपी) एवं निर्यातक/ आयातक, से तर्कसंगत प्रतिसूचना प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण चैनल भी रहें हैं। फेमा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रम का संचालन करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को एक विस्तृत फ्रेमवर्क जारी किया गया।

V.29 विभाग ने उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) तथा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई)- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) संरचनाओं जैसे क्षेत्रों में अनुमोदन प्रदान करने हेतु आंतरिक फ्रेमवर्क विकसित किए।

V.30 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के संबंध में फेमा के तहत कतिपय रिपोर्टिंग संबंधी उल्लंघनों के लिए कंपाउंडिंग प्रक्रिया के बदले में विलंबित प्रस्तुति शुल्क (एलएसएफ) का प्रारंभ किया गया। इस प्रकार के उल्लंघनों को नियमित करने के लिए ये शुल्क प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) द्वारा संग्रहीत एवं विप्रेषित किए जा सकते हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति तथा विप्रेषण

V.31 मुद्रा परिवर्तन तथा मर्चेंटिंग गतिविधियों संबंधी दिशानिर्देशों को तर्कसंगत बनाया गया। फेमा के तहत रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंसीकृत किए गए प्राधिकृत व्यक्तियों की श्रेणियों की परिभाषा को दिशानिर्देशों में शामिल किया गया। संपूर्ण मुद्रा

परिवर्तकों (एफएफएमसी) के निदेशकों की आयु से संबंधित निदेश को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया। कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण (सिक्किम) अधिनियम, 1961 के तहत रजिस्टर की गई कंपनियों को एफएफएमसी के लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु पात्र बनाया गया।

V.32 लेनदेन की लागत को कम करने के उद्देश्य से विनियमित संस्थाओं की रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के सरलीकरण तथा प्राधिकृत व्यक्तियों की भूमिका को बढ़ाने के लिए एक व्यापक समीक्षा की गई। रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लि. (आरईबीआईटी) द्वारा एफएफएमसी/ उन्नत एफएफएमसी (एडी श्रेणी-II) के लिए लाइसेंसिकरण, नवीकरण, रिपोर्टिंग, निरसन तथा निरीक्षण से संबंधित ऑनलाइन पैकेज विकसित किया जा रहा है, जो रिपोर्टिंग प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाएगा तथा अन्य कार्य प्रक्रियाओं को हात से करने की आवश्यकता कम करेगा।

व्यापार संबंधी दिशानिर्देश – उदारीकरण तथा तर्कसंगत बनाना

V.33 जिनका समाधान लंबित है, ऐसे आयात/ निर्यात लेनदेन की आयातक/ निर्यातक द्वारा स्व-निगरानी की जा सके इस दृष्टि से आयात डेटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (आईडीपीएमएस) तथा निर्यात डेटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) में एक स्वचालित ई-मेल की व्यवस्था विकसित की गयी। सभी आयातकों / निर्यातकों को नियमित अंतरालों पर सिस्टम जनित ई-मेल भेजे जाते हैं, जिनमें निर्धारित नियत तारीखों के पश्चात बकाया रहने वाले उनके लदान बिलों, प्रवेश बिल, तथा जावक/ आवक विप्रेषणों के ब्यौरे दिए जाते हैं।

V.34 22 नवंबर 2019 से सीमा शुल्क के विशेष अधिसूचित क्षेत्रों से न बिके कच्चे हीरों के पुनर्निर्यात से संबंधित दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया। संशोधित अनुदेशों के अनुसार हीरा खनन कंपनियों द्वारा व्यापार करने के लिए निर्दिष्ट आयात किए गए कच्चे हीरों के खेप/ खेपों के लिए प्रवेश बिल क्रेता द्वारा फाइल किया जाएगा। इनका निपटान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत विधिवत रूप से अधिसूचित/

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए केंद्र/ केन्द्रों पर किया जाएगा। प्राधिकृत व्यापारी बैंक लेनदेनों की वास्तविकता से संतुष्ट होने पर ऐसे आयात भुगतान की अनुमति दे सकते हैं। इसके अलावा प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऐसे लेनदेनों का रिकार्ड भी रखेंगे।

V.35 विदेशी पट्टाकर्ता द्वारा पुनः कब्जे में लिए गए लीज़ पर दिये गए ऐयरक्राफ्ट/ हेलिकॉप्टर और/ अथवा इंजन/ ऑक्सिलरी पावर यूनिट (एपीयू) के पुनर्निर्यात के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुगम करने के लिए उन्हें निर्यात घोषणा फॉर्म (ईडीएफ) की प्रस्तुति से छूट दी गई।

V.36 जनवरी 2020 में मर्चेंटिंग ट्रेड लेनदेन (एमटीटी) की व्यापक समीक्षा की गई तथा संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं: (i) 'माल के स्वरूप' में परिवर्तन की अनुमति; (ii) इंटरनेशनल मैरिटाइम ब्यूरो अथवा संबंधित एयरलाइन की वेबसाइट पर दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन; (iii) मर्चेंटिंग ट्रेडर के नियंत्रण के बाहर की कतिपय परिस्थितियों में निर्यात चरण की प्राप्य राशियों को बट्टे खाते डालना; (iv) कतिपय परिस्थितियों में जिनके कारण एमटीटी को प्रारंभ करने के पश्चात एजेंसी कमीशन का भुगतान किया जाना आवश्यक हो जाए, के अंतर्गत एजेंसी कमीशन का भुगतान; (v) स्टैंड-बाइ साख पत्र (एसबीएलसी)/ बैंक गारंटी के बिना आयात अग्रिम की सीमा में 5 लाख अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि; (vi) थर्ड पार्टी भुगतानों को विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित करना; (vii) आपूर्तिकर्ता/ क्रेता की क्रेडिट के लिए वचन पत्र (एलओयू)/ चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी करना प्रतिबंधित है; (viii) प्राप्त किए गए निर्यात अग्रिम को आयात चरण के भुगतान के लिए चिह्नित किया जाए; तथा (ix) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी) में निर्यात से प्राप्त आय को पार्क करने संबंधी स्पष्टीकरण।

V.37 एशियन क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) व्यवस्था के अंतर्गत जापानी येन को निपटान मुद्रा के रूप में शामिल करने हेतु विदेशी

मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति तथा भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 को मार्च 2020 में संशोधित किया गया।

V.38 वैश्विक महामारी कोविड -19 के प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में 31 जुलाई 2020 तक निर्यात किए गए माल या सॉफ्टवेयर अथवा सेवाओं के पूर्ण निर्यात-मूल्य को दर्शाने वाली राशि की वसूली तथा भारत में उक्त राशि के प्रत्यावर्तन की मौजूदा अवधि को निर्यात की तारीख से नौ महीने से बढ़ाकर पंद्रह महीने किया गया। उसी प्रकार 31 जुलाई 2020 को अथवा उससे पूर्व किए गए आयातों के संबंध में ऐसे सामान्य आयातों (अर्थात्- स्वर्ण/ हीरे तथा मूल्यवान रत्नों/ आभूषणों के आयात को छोड़ कर) के समक्ष किए जाने वाले विप्रेषणों के निपटान हेतु निर्धारित की गई समय-सीमा को विस्तारित करते हुए उसे शिपिंग की तारीख से छह महीनों से बढ़ा कर बारह महीने (उन मामलों को छोड़ कर जहां कार्यनिष्पादन की गारंटी आदि जैसे कारणों के लिए राशि को रोक कर रखा गया है) किया गया।

*अनिवासी रुपया खाता- नीति की समीक्षा*

V.39 विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते के दायरे को बढ़ाते हुए भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को ईसीबी, व्यापार/ व्यापार ऋण तथा गुजरात इंटरनेशनल फ़ाइनेंस टेक (जीआईएफ़टी) सिटि में स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफ़एससी) द्वारा कारोबार संबंधी लेनदेन से संबंधित भारतीय रुपये के लेनदेन के लिए ब्याज रहित एसएनआरआर खाते खोलने की अनुमति दी गई है। उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए एसएनआरआर खाते की अवधि संबंधी प्रतिबंध-वर्तमान में सात वर्ष - को भी हटा दिया गया।

*बाह्य वाणिज्यिक उधार फ्रेमवर्क- नीति तथा प्रणालीगत परिवर्तन*

V.40 रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के साथ परामर्श के साथ कार्यशील पूंजी के प्रयोजनों, सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजनों तथा रुपया ऋणों की चुकौती के लिए ईसीबी से संबंधित अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को शिथिल किया। पात्र उधारकर्ताओं को अब भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/ समुद्रपारीय अनुषंगी कंपनियों को

छोड़कर परिभाषित/ निर्धारित औसत परिपक्वता अवधि को बनाए रखने की शर्त के अधीन मान्यताप्राप्त उधारदाताओं से ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों के लिए ईसीबी जुटाने की अनुमति दी गई है। इस छूट में कतिपय शर्तों को पूर्ण करने के अधीन एसएमए-2 अथवा अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए गए रुपया ऋणों की चुकौती / समनुदेशन के लिए ईसीबी का लाभ उठाने की अनुमति शामिल है।

V.41 आवेदन की प्राप्ति से अंतिम निर्णय के संप्रेषण तथा लेनदेन की रिपोर्टिंग तक के ईसीबी/ व्यापार ऋणों के पूरे जीवन चक्र को सम्मिलित करने वाले सॉफ्टवेयर प्लैटफॉर्म फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड ट्रेड क्रेडिट्स रिपोर्टिंग अँड अप्रूवल (स्पेक्ट्रा) के कार्यान्वयन का कार्य चल रहा है और एनएसई-आईटी लि. को नवंबर 2019 में कार्य आदेश प्रदान किया गया है।

#### गैर-ऋण लिखत नियमों की अधिसूचना

V.42 वित्त अधिनियम, 2015 के माध्यम से फेमा, 1999 में संशोधन किए गए। अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार किसी भी श्रेणी अथवा श्रेणियों के पूंजी खाता लेनदेन जिनमें ऋण लिखत शामिल नहीं हैं के लिए नियम बनाने की शक्तियां भारत सरकार को दी गई हैं, और ऋण लिखत जिनमें शामिल हैं ऐसे पूंजी खाता लेनदेन को विनियमित करने की शक्तियां रिजर्व बैंक के पास होना जारी रहेगा। साथ ही ऋण लिखत के रूप में जिन लिखतों को निर्धारित किया जाना है उससे संबंधित नियम सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना के माध्यम से इन संशोधनों को अधिसूचित किया। गैर-ऋण लिखत (एनडीआई) नियमावली को 17 अक्टूबर 2019 से अधिसूचित किया गया।

#### फेमा से संबंधित कार्यक्रम- सूचना का प्रचार-प्रसार तथा प्रतिसूचना

V.43 विभाग क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारियों के प्रश्नों को सुलझाने की दृष्टि से तथा उनके मामलों को तत्काल संबोधित किया जा सके इस उद्देश्य से विदेशी मुद्रा प्रबंध के क्षेत्र में मूलभूत अपेक्षाओं

को आंकने के लिए उनके साथ बैठकें/ सम्मेलनों का आयोजन करके कुशलता उन्नयन करने तथा ज्ञान के प्रचार प्रसार के निरंतर प्रयास करता रहा है। विभाग ने केंद्रीय कार्यालय तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से संबद्ध स्टाफ के साथ ज्ञान/ सूचना को साझा करने के लिए सत्र संचालित किए। विभिन्न दिशानिर्देशों/ अनुदेशों का मास्टर निदेशों, प्रशिक्षण मोड्युल्स तथा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफ़एक्यू) को नियमित रूप से अद्यतन करते हुए प्रसार किया जाता है।

#### वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

V.44 वर्ष 2020-21 के लिए विभाग की कार्यनीति पिछले वर्ष में की गई सभी पहल को समेकित करने तथा उन्हें आगे ले जाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस बात को सुनिश्चित करने पर जोर कायम रहेगा कि फेमा का परिचालनगत फ्रेमवर्क उभरते हुए समष्टि आर्थिक परिवेश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना रहता है। तदनुसार विभाग ने कार्यनीति के अनुरूप वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित कार्य योजना बनाई है:

- रिपोर्टिंग को विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए तथा उक्त प्रक्रिया को सरल तथा कारगर बनाने के लिए विभिन्न विनियमों के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षाओं की संपूर्ण समीक्षा करना (उत्कर्ष);
- भारतीय पार्टियों/ निवासी भारतियों द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) की विलंबित रिपोर्टिंग के लिए विलंबित प्रस्तुति शुल्क का प्रारंभ (उत्कर्ष);
- ओडीआई विनियमों को तर्कसंगत बनाना ताकि वे सरल तथा अधिक सिद्धान्त आधारित हों (उत्कर्ष);
- जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना और निरंतर आधार पर डिजिटल सामग्री तैयार करते रहना(उत्कर्ष); तथा
- विदेशी मुद्रा प्रबंध विनियमावली, 2015 के तहत विदेशी मुद्रा तथा मुद्रा संबंधी विभिन्न प्रावधानों जैसे - मुद्रा का निर्यात तथा आयात; विदेशी मुद्रा की

वसूली, प्रत्यावर्तन तथा अभ्यर्पण ; कब्जा; तथा विदेशी मुद्रा की प्रतिधारणा को तर्कसंगत बनाना। ये प्रावधान जिन्हें वर्तमान में फेमा के अंतर्गत चार अलग-अलग अधिसूचनाओं में कवर किया गया है, को एक एकल विनियम के अंतर्गत एकीकृत किया जाएगा।

#### निष्कर्ष

V.45 संक्षेप में, वर्ष के दौरान वित्तीय बाज़ारों को विकसित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने विविध कदम उठाए जैसे- प्रतिभागिता आधार को बढ़ाना, पहुंच को आसान बनाना तथा लेनदेन की लागत को कम करना, उत्पादों तथा लिखतों की शृंखला में विविधता लाना, कार्यपद्धति को सरल बनाना तथा वित्तीय बाज़ार के इनफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना एवं उसने अपने चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क का परिवर्धन भी किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय बाज़ार एक उचित, कारगर और पारदर्शी तरीके से परिचालित होते हैं, नीतिगत दृष्टिकोण का मोटे तौर पर बाज़ार निगरानी एवं आसूचना पर ज़ोर देते हुए सिद्धान्त आधारित

विनियामक फ्रेमवर्क की ओर पुनरभिमुखीकरण हुआ है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में रिज़र्व बैंक ने अपनी परंपरागत नीतियों के परे जाकर एलटीआरओ, टीएलटीआरओ, टीएलटीआरओ 2.0 के रूप में गैर पारंपरिक मौद्रिक नीति का प्रारंभ किया; अस्थिरता कम करने के लिए रुपया तथा विदेशी मुद्रा चलनिधि का अंतर्वेशन हेतु दोनों प्रकार के एफ़एक्स स्वैप के अतिरिक्त प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं तथा महामारी के कारण किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए ऋण व्यवस्था करना। फेमा को तर्कसंगत बनाने तथा निगरानी तथा रिपोर्टिंग के प्रयोजनों से उन्हें प्रयोक्ता अनुकूल बनाने की प्रक्रिया में एसएनआरआर खाते के दायरे को बढ़ाया गया है और आईडीपीएमएस तथा ईडीपीएमएस में स्वचालित ई-मेल की विशिष्टता जोड़ दी गई है। रिज़र्व बैंक का प्रयास यह रहा है कि वह एक सिद्धान्त आधारित विनियामक फ्रेमवर्क का निर्माण करे और अंतरराष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं तथा बाज़ार इनफ्रास्ट्रक्चर के साथ वित्तीय बाज़ार में सुव्यवस्थित परिस्थितियों सहित फेमा के अंतर्गत उसके दायित्वों को सुनिश्चित करे।